फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2024/129 बअनवान हणवंत सिंह वगैरा बनाम प्रतापसिह वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
05.02.25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। टी. आई प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी पक्ष श्री प्रदीप चौधरी ने उनके द्वरा प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि वादग्रस्त कृषि भूमि गोपा उर्फ गोपसिंह की स्व अर्जित भूमि रही है। गोपा उर्फ गोप सिंह पुत्र जुंझारसिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 03.01.1992 को प्रार्थी खीमसिंह के पक्ष में वादग्रस्त भूमि बाबत वसीयतनामा निस्पादित किया, जो वसीयतनामा पंजीकृत दस्तावेज होने से वैध दस्तावेज है। अप्रार्थीगण जो कि स्व. गोपा के वारिसान है ने वसीयत का ज्ञान होते हुये हुये फौतेदगी नामांतरकरण के जरिये अपना नाम अधिकार अभिलेखों में दर्ज करवा दिया तथा इसके प्श्चात बिना कब्जे के अप्रार्थी सं 2 को बेचान भी कर दिया जिनके द्वारा प्रार्थीगण को मौके से बेदखल किये जाने की धमकी दी जा रही है। परंतू प्रार्थीगण माफिक वसीयत के खीमसिंह के फूटस्टेप के तौर पर वादग्रस्त भूमि पर काविज है। इसलिये वादीगण ने वसीयतनामा के आधार पर घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया हैं। जिस वाद के निस्तारण में समय लगेगा एवं इस दौरान यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के शांतिपुर्ण कब्ज काश्त में दखल करते है तो प्रस्तुत वाद एवं उक्त प्रार्थना पत्र का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। अतः प्रस्तुत वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूध रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखे जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी। अपनी दलीलों के समर्थन में विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा निम्नांकित कानूनी दृष्टांत पेश किये– 1. 2018–19(एसयूपीपी) आरआरटी 618 2. 2018–19(एसयूपीपी) आरआरटी 531 3. 2023(2) आरआरटी 1213 इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा बहस में जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि वादग्रस्त भूमि मृत गोपा उर्फ गोपसिंह पुत्र जुझारसिंह की स्वअर्जित भूमि नही थी। बल्कि सहदायिकी की पुश्तैनी भूमि थी। मृत गोपा उर्फ गोपसिंह ने अपने जीवनकाल में कभी भी मृत खीमसिंह पुत्र शिवसिंह के हक में वसीयतनामा निस्पादित नही किया है। प्रार्थीगण के पूर्वजो ने कूटरचित वसीयतनामा तैयार करवाया है। गोपा उर्फ गोपसिंह भारत सरकार के आयकर विभाग में कार्यरत थे जो 31.05.1993 को अहमदाबाद कार्यलय से रिटायर्ड हुये है। उनकी उपस्थिति पंजीकाओ, सर्विस बुक, बैंक खातों के खुलवाने के समय इन दस्तावेंजो पर किये गये हस्ताक्षर वसीयतनामा पर किये गयें कूटरचित हस्ताक्षरों से मिलान के पश्चात ही प्रार्थीगण के कथनों पर विश्वास किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार ने 17/30 हिस्सा का बेचान पंजीबद्ध विक्रय विलेख 12.12.23 के अप्रार्थी सं 2 के पक्ष में कर देने से तथा उसके आधार पर नामांतरकरण सं 1663 दिनांक 26.02.24 अप्रार्थी सं 2 के पक्ष में स्वीकृत होने से अप्रार्थी सं 2 रिकार्डेड खातेदार है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष में नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलों के समर्थन में विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा निम्न कानूनी दृष्टांत पेश किये– 1. आरआरटी 2022(1) पेज 359 2. आरआरटी 2022(2) पेज 1193 3. आरआरटी 2016(2) पेज 1080(पैरा 8,9)	

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, सांभर

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि प्रार्थीगण द्वारा जिस वसीयतनामा दिनांक 03.01.1992 को आधार बनाते हुये घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद एवं उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है, वह वसीयतनामा उप पंजीयक बाली द्वारा दिनांक 03.01.1992 को पंजीबद्धसुदा दस्तावेज है। पंजीबद्ध दस्तावेज की जिनाईनेस के संबंध में किसी प्रकार से अविश्वास का कोई कारण नही रह जाता है। वकील अपार्थी द्वारा उक्त दस्तावेज को कूटरचित दस्तावेज बताया है। परंतू जब तक सक्षक सिवील न्यायालय द्वारा उक्त पंजीबद्ध वसीयतनामा को निरस्त नही करवाया जाता तब तक इस आशय के आरोप निराधार है। इस संबंध में विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत–

1. 2018–19(एसयूपीपी) आरआरटी 618– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 212–अस्थाई निषेधाज्ञा–प्रार्थना पत्र खारिज किया–राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील स्वीकार की और अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया–पक्षकार खातेदार सहीराम के वारिसान है–वसीयत वैध है या कुटरचित, प्रश्न विचारन के दौरान निर्णीत किया जा सकता है–प्रश्नगत संपत्ति को संरक्षित करने हेतु रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबदकिया जा सकता है।– प्रार्थीगण (पी) तथा अन्य भूमि पर विधिक कब्जा साबित करने को साक्ष्य पेश करने में असफल रहे है, निर्णित आदेश न्यायसंगत है।
2. 2018–19(एसयूपीपी) आरआरटी 531– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 212–अस्थाई निषेधाज्ञा–प्रार्थना पत्र खारिज किया–पक्षकारों के स्वत्व व अधिकार वाद में निर्णित होगें–वाद के निस्तारण तक सम्पत्ति का संरक्षण न्यायसंगत है–निर्णित, मौके पर तथा राजस्व रिकार्ड में पक्षकार यथावत स्थिति बनाये रखेंगें।

उक्त दोनो ही कानूनी दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर सटिक है। विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत वाद के संबंध में होने से हस्तागत प्रकरण में सटिक नही है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिंदु प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध होने से वादग्रस्त भूमि ग्राम फालना गांव तह बाली के खसरा नंबर 940 रकबा 0.73 हैक्टर किस्म बारानी दोयम के संबंध में बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी सं 2 इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादग्रस्त भूमि का बेचान हस्तांतरण नही करे तथा प्रार्थीगण के निहित खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि में नाजायज हरकतों के द्वारा दखलअंदाजी के द्वारा बाधा खडी नही करें। काश्त करने कराने से वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण को नही रोके, इस हेतु रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner